[2021] 11 एस. सी. आर 772

पंजाब राज्य शक्ति निगम सीमित और

एक और

बनाम

एम. एम. टी. ए. कोल लिमिटेड

(सिविल अपील सं। 5823-5824 2021 का)

21 सितंबर, 2021

[एल. नागेश्वर राव, बी. आर. गवई और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 - एस. 11-मनोहर लाल शर्मा बनाम. प्रधान सचिव और अन्य ने [2014] 8 के रूप में रिपोर्ट किया

एस. सी. आर. 446, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कोयला ब्लॉकों का आवंटन

1993 और 2011 के बीच मनमाना और अवैध था-ऐसे सभी कोयला ब्लॉक आवंटन को रद्द कर दिया गया था-प्रतिवादी-पूर्व ठेकेदार यदि खनन के ऋण के मामले में इनकार करने का पहला अधिकार था

उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित पट्टा-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया: धारा 11 में यह प्रावधान है कि एक सफल बोलीदाता या आवंटी, जैसा भी मामला हो, के संबंध में

अनुसूची I कोयला खदानें, इस तरह के खनन को अपनाने और जारी रखने के लिए चुनाव कर सकती हैं ऐसे अनुबंध जो किसी भी पूर्व आबंटित व्यक्ति के साथ हो सकते हैं

कोयला खनन कार्यों के संबंध में-सफल बोलीदाता की स्थिति में

या आबंटित व्यक्ति मौजूदा अनुबंधों को नहीं अपनाने या जारी रखने का चुनाव करता है, ऐसे सभी अनुबंध सफल लोगों के खिलाफ लागू करने योग्य नहीं रहेंगे।

अनुसूची I कोयला खदान के संबंध में बोलीदाता या आवंटनकर्ता और एकमात्र

ऐसे संविदाकारी पक्षों का उपचार पूर्व आबंटियों के खिलाफ होगा। - यदि यह माना जाता है कि यू / एस. 11, एक पूर्व ठेकेदार जारी रखने का हकदार है यदि

उसका प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाता है और यदि कुछ भी नहीं है

उसके खिलाफ, तो यह एस में कुछ प्रदान करेगा। 11 जो कि

कानून ने इसके लिए प्रावधान नहीं किया है-उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करने में गलती की कि

प्रत्यर्थी की एक वैध अपेक्षा थी-केवल इसलिए कि कोयला

माइन ब्लॉक को फिर से अपीलार्थी को आवंटित किया गया था, वह नहीं कर सका प्रत्यर्थी के पक्ष में कोई भी निहित अधिकार दें-उच्च न्यायालय ने गलती की

अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के साथ अनुबंध जारी रखने के लिए मजबूर करना,

यद्यपि वह ऐसा करने के लिए इच्छुक नहीं था, तथापि अपीलार्थी का निर्णय।

06.04.18 एस के अनुसार लिया गया था। 11 और इसके बाद

प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत-विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया

772 पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वी. ई. एम. टी. ए. कोल लिमिटेड।

क़ानूनों की व्याख्या-क़ानून की शाब्दिक व्याख्या सिद्धांत वैध अपेक्षा-प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत-न्यायिक

समीक्षा करें।

क़ानूनों की व्याख्या-शाब्दिक व्याख्या-सादा और शाब्दिक अर्थ-आयोजित: जब किसी क़ानून में उपयोग किए गए शब्दों की स्पष्ट और शाब्दिक व्याख्या पर, विधायी इरादे को एकत्र किया जा सकता है, तो क़ानून में शब्दों को जोड़ने की अनुमति नहीं है-कोयला

खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 - एस. 11.

प्रशासनिक कानून:

न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग-चर्चा का दायरा।

न्यायिक समीक्षा-वेड्सबरी सिद्धांत-आयोजित: जबकि

वेड्सबरी सिद्धांत को लागू करते हुए, न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि क्या किसी प्राधिकरण का निर्णय ऐसा है कि कोई भी प्राधिकरण संबंधित कानून पर खुद को ठीक से निर्देशित नहीं कर सकता था और यथोचित रूप से कार्य कर सकता था।

शब्द और वाक्यांश-s में "चुनाव कर सकते हैं"। 11 , 2015 अधिनियम-कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 का अर्थ-चर्चा की गई एस. 11.

अपीलों को अनुमति देते हुए, यह न्यायालय

पकड़ना: 1.1 कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015

उक्त अधिनियम की धारा 11 को पढ़ने से पता चलेगा कि यह एक गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होता है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूची-1 कोयला खदानों के संबंध में एक सफल बोलीदाता या आवंटनकर्ता, जो भी मामला हो, ऐसे अनुबंधों को अपनाने और जारी रखने का चुनाव कर सकता है जो कोयला खनन कार्यों के संबंध में किसी भी पूर्व आवंटनकर्ता के साथ मौजूद हो सकते हैं और यह उनके लिए एक नवीनता का गठन करेगा। ऐसे अनुबंध की अवशिष्ट अवधि या अवशिष्ट निष्पादन। "चुनाव कर सकते हैं" शब्द स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि विधायिका ने एक सफल बोलीदाता या आवंटनकर्ता को चुनाव करने के लिए पूरा विवेक दिया है। "चुनाव कर सकते हैं" शब्दों का अर्थ चुनाव न करने का विवेक भी होगा। केवल उस स्थिति में, एक सफल बोलीदाता या आवंटनकर्ता इस तरह के अनुबंध को अपनाने और जारी रखने का फैसला करता है, जो [2021] 11 एस. सी. आर. के साथ मौजूद हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कोयला खनन कार्यों के संबंध में पूर्व आबंटितों में से कोई भी, ऐसे अनुबंध की अवशिष्ट अवधि या अवशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक नवीनता का गठन करेगा। यदि सफल आबंटित व्यक्ति इस तरह के अनुबंध को अपनाने या जारी रखने का विकल्प नहीं चुनता है, तो इस तरह के अनुबंध की अवशिष्ट अवधि या अवशिष्ट प्रदर्शन के लिए नवीनीकरण का कोई सवाल ही नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि यदि कोई सफल बोलीदाता या आबंटित व्यक्ति तीसरे पक्ष के साथ पूर्व आबंटितों द्वारा किए गए मौजूदा अनुबंध को न अपनाने या जारी रखने का चुनाव करता है, तो ऐसे सभी अनुबंध जिन्हें अपनाया या जारी नहीं रखा गया है, वे अनुसूची I कोयला खदानों के संबंध में सफल बोलीदाता या आबंटित के खिलाफ प्रवर्तनीय नहीं रहेंगे और ऐसे अनुबंधित पक्षों का उपाय पूर्व आबंटितों के खिलाफ होगा। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) और (2) को सीधे पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि सफल आबंटकर्ता या बोलीदाता को पूरी स्वतंत्रता है -

यह तय करें कि क्या वह ऐसा कोई कार्य जारी रखना चाहता है या उसे अपनाना चाहता है।

कोयला खनन संचालन के संबंध में मौजूदा अनुबंध। केवल उस स्थिति में जब वह मौजूदा अनुबंधों को अपनाने या जारी रखने का चुनाव करता है, तो यह अवशिष्ट अवधि या अवशिष्ट अवधि के लिए नवीनता का गठन करेगा।

ऐसे अनुबंधों का निष्पादन। यदि सफल बोलीदाता या आबंटितकर्ता मौजूदा बोली को नहीं अपनाने या जारी रखने का चुनाव करता है।

अनुबंध, ऐसे सभी अनुबंध अनुसूची I कोयला खदानों के संबंध में सफल बोलीदाता या आवंटनकर्ता के खिलाफ लागू करने योग्य नहीं होंगे। ऐसे संविदाकारी पक्षों का एकमात्र उपाय होगा -

पूर्व आबंटियों के विरुद्ध। [पैरा 20,21] [784-ई-एच; 785-ए-ई]

मनोहर लाल शर्मा बनाम। प्रधान सचिव और अन्य (2014) 9 एस. सी. सी. 516: [2014] 8 एससीआर 446; मनोहर लाल शर्मा बनाम। प्रधान सचिव और अन्य (2014) 9 एस. सी. सी.

614 [2014] 12 एस. सी. आर. 110-संदर्भित।

1.2 यदि उक्त अधिनियम की धारा 11 में उपयोग किए गए शब्दों का सरल और शाब्दिक अर्थ लगाया जाता है, तो वे बेतुकेपन की ओर नहीं ले जाते हैं और इस तरह, सरल और शाब्दिक व्याख्या के नियम का पालन करना होगा। यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत, एक पूर्व ठेकेदार जारी रखने का हकदार है यदि उसका प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाता है और यदि उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, तो यह उक्त अधिनियम की धारा 11 में कुछ प्रावधान करेगा जो -

क़ानून ने इसके लिए प्रावधान नहीं किया है। इससे पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड शब्द भी बनेंगे।

वी. ई. एम. टी. ए. कोल लिमिटेड।

" चुन सकते हैं, अपना सकते हैं और जारी रख सकते हैं। जब, एक में उपयोग किए गए शब्दों की एक स्पष्ट और शाब्दिक व्याख्या पर

क़ानून, विधायी इरादे को इकट्ठा किया जा सकता है, क़ानून में शब्द जोड़ने की अनुमति नहीं है। समान रूप से, ऐसी व्याख्या से बचा जाना चाहिए जो किसी क़ानून में उपयोग किए गए कुछ शब्दों को निरर्थक या अर्थहीन बना दे। [पैरा 22] [785-जी-एच; 786-ए, बी-सी]

जुगलकिशोर सराफ बनाम। रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड [1955] 1 एससीआर 1369; अजीत मोहन और अन्य बनाम। विधानसभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 456-पर भरोसा किया।

1.3 उक्त अधिनियम की धारा 11 के साथ पठित अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 62 पर विचार करते समय उच्च न्यायालय ने कहा है कि कि किसी अनुबंध के पक्ष स्वेच्छा से एक नए अनुबंध को प्रतिस्थापित करने या इसे रद्द करने या इसे बदलने के लिए सहमत हो सकते हैं। हालाँकि, यह देखने के बाद, उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करने में गलती की है कि ई. एम. टी. ए. की एक वैध अपेक्षा थी। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया तर्क पूरी तरह से गलत है। सिर्फ इसलिए कि कोयला खदान ब्लॉक

पी. एस. पी. सी. एल. को आबंटित किया गया था, वह ई. एम. टी. ए. के पक्ष में कोई निहित अधिकार नहीं दे सकता था, विशेष रूप से उक्त अधिनियम की धारा 11 में उपयोग की गई भाषा को देखते हुए। पहले के पैरा में यह देखने के बाद कि अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 62 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 11 को देखते हुए, अनुबंध के पक्ष स्वेच्छा से सहमत हो सकते हैं।

एक नए अनुबंध को प्रतिस्थापित करने या इसे रद्द करने या इसे बदलने के लिए, उच्च न्यायालय ने पी. एस. पी. सी. एल. को ई. एम. टी. ए. के साथ अनुबंध जारी रखने के लिए मजबूर करने में गलती की है, हालांकि वह ऐसा करने को तैयार नहीं था। [पारस 23-25] [786-F-G; 787-B, C-D]

केरल राज्य पेय (एम एंड एम) निगम लिमिटेड बनाम। पी. पी. सुरेश और अन्य (2019) 9 एस. सी. सी. 710: [2019]

17 एस. सी. आर. 164-निर्भर।

1.4 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि उक्त अधिनियम की धारा 11 और खंड 12.4 के बीच। 1 आवंटन समझौते की धारा

11 उक्त अधिनियम प्रबल होगा। सवाल यह है कि क्या उक्त अधिनियम की धारा 11 सफल आवंटनकर्ता को मौजूदा अनुबंध को जारी रखने के लिए अनिवार्य करती है। इसका जवाब है नहीं। किसी भी मामले में, ई. एम. टी. ए. के दावे को पी. एस. पी. सी. एल. द्वारा केवल खंड 12.4 के आधार पर खारिज नहीं किया जाता है। 1 आबंटन समझौता। [पैरा 28] [788-बी-सी] [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.5 पी. एस. पी. सी. एल. द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 2018 को पारित आदेश राज्य के एक प्राधिकरण द्वारा पारित एक आदेश है। कार्यकारी कार्य। न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

उस नीति की पूर्ति में लिया गया निर्णय उचित है। अदालत इस बात की जांच करेगी कि क्या किसी प्राधिकरण का निर्णय अवैधता, तर्कहीनता या प्रक्रियात्मक अनुचितता से दूषित है। जबकि अतार्किकता के सवाल की जांच करते हुए, अदालत वेड्सबरी के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होगी। वेड्सबरी सिद्धांत को लागू करते समय, अदालत इस बात की जांच करेगी कि क्या किसी प्राधिकरण का निर्णय ऐसा है कि कोई भी प्राधिकरण संबंधित कानून पर खुद को ठीक से निर्देशित नहीं कर सकता था और उचित रूप से कार्य कर सकता था। [पैरा 30,31] [788-डी-ई; 795-एफ-एच; 796-ए-बी]

टाटा सेल्युलर वी. भारत संघ (1994) 6 एससीसी 651: [1994] 2 पूरक। एस. सी. आर. 122 रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड और एक अन्य बनाम। कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण

और अन्य (2013) 10 एस. सी. सी. 95: [2013] 17 एससीआर 345 -

पर भरोसा किया।

1.6 उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि 6 अप्रैल 2018 को पी. एस. पी. सी. एल. का निर्णय,

अवैधता या प्रक्रियात्मक अनुचितता के आधार पर पूछताछ। यह निर्णय उक्त अधिनियम की धारा 11 के अनुसार और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने के बाद लिया जाता है। हमले के लिए जो सीमित क्षेत्र उपलब्ध होगा वह यह है कि क्या निर्णय वेड्सबरी सिद्धांत से प्रभावित है। क्या यह कहा जा सकता है कि प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय ऐसा है कि किसी भी उचित व्यक्ति ने इसे नहीं लिया होगा? इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राधिकरण ने खंड 12.4 पर भी भरोसा किया है। 1 हालांकि, आवंटन समझौते का यह एकमात्र आधार नहीं है जिसके आधार पर ई. एम. टी. ए. के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ई. एम. टी. ए. के प्रतिनिधित्व पर विचार करते हुए, पी. एस. पी. सी. एल. पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

वी. ई. एम. टी. ए. कोल लिमिटेड।

खंड 12.4 का उल्लेख किया गया है। 1 आवंटन समझौते के तहत कोयला खदानों को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए ठेकेदारों के माध्यम से विकसित करने की आवश्यकता होती है, हालांकि, यह एकमात्र आधार नहीं है जिस पर ई. एम. टी. ए. के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया जाता है। पी. एस. पी. सी. एल. ने सर्वोत्तम प्रचालक का पता लगाने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। इसने आगे देखा है कि पूंजी/राजस्व के संबंध में संरचना

निवेश पूरी तरह से अलग है। इसलिए बोली के मानदंड पूरी तरह से बदल गए हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रचालक को सर्वोत्तम मूल्य पर प्राप्त करने के नीतिगत निर्णय को ऐसा निर्णय नहीं कहा जा सकता है जो कोई भी उचित व्यक्ति अपने मामलों में न ले। मामले के उस दृष्टिकोण से, 6 अप्रैल 2018 के आदेश/पत्र पर हमला, बिना किसी योग्यता के है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है। [पारस 32,33 और 35] [796-बी-डी, एफ-एच; 797-बी]

केपीसीएल बनाम. ई. एम. टी. ए. कोल लिमिटेड और अन्य आई. एल. आर. 2016 कर 4301 ; ई. एम. टी. ए. कोल लिमिटेड और एक अन्य वी. पश्चिम बंगाल

विद्युत विकास निगम (2016) 2 कैल एलजे 424

- संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 8 एससीआर 446

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

[2014] 12 एससीआर 110

संदर्भित किया गया है

पैरा 6

[2019] 17 एससीआर 164

उस पर भरोसा करें

पैरा 11

[1955] 1 एससीआर 1369

उस पर भरोसा करें

पैरा 22

[1994] 2 पूरक। एससीआर 122

उस पर भरोसा करें

पैरा 30

[2013] 17 एससीआर 345

उस पर भरोसा करें

पैरा 30

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील Nos.5823

5824 2021 से।

उच्च न्यायालय के 25.01.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 के सी. डब्ल्यू. पी. No.10055 और 2018 (ओ. एंड. एम.) के सी. डब्ल्यू. पी. No.16245 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा।

संजय जैन, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, एएसजी, सलमान खुर्शीद, के.

वी. विश्वनाथन, अभिषेक मनु सिंघवी, ध्रुव मेहता, मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अतुल नंदा, करण भारिहोक, वेंकटरमण आर., सिद्धांत [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शर्मा, सुश्री साक्षी कोटियाल, जफर खुर्शीद, आसिफ रशीदा, सुश्री वंशजा शुक्ला, सुश्री गुंजन चौकसी, शांतनु श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह, अभिमन्यु भंडारी, संग्राम एस. सरोन, सुश्री रूहे हिना दुआ, एजाज मकबूल, सुश्री आकृति चौबे, सुश्री नेहा सहाय भरीहोके, गुरमीत सिंह मक्कड़, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री अर्चना पाठक दवे, मोहम्मद। अखिल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 की धारा 11 की व्याख्या से संबंधित एक संक्षिप्त प्रश्न (जिसे इसके बाद इस रूप में संदर्भित किया गया है)

"कथित अधिनियम") जो मनोहर लाल शर्मा बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का परिणाम है। प्रधान सचिव और अन्य 1

(इसके बाद "मनोहर लाल शर्मा-I" के रूप में संदर्भित) और एक प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के दायरे से संबंधित एक सहायक प्रश्न। राज्य प्राधिकरण इन अपीलों में विचार के लिए उत्पन्न होता है।

3. ये अपीलें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 25 तारीख को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देती हैं।

4. वर्तमान मामले में तथ्य विवाद में नहीं हैं, जो एसएलपी (सी) संख्या से उत्पन्न अपीलों से लिए गए हैं। 9924-25 2019 से। 5. पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (जिसे इसके बाद "पी. एस. ई. बी". के रूप में जाना जाता है) जिसे अब पंजाब राज्य विद्युत निगम के रूप में जाना जाता है।

2000 , इस प्रकार पनेम कोल माइन्स लिमिटेड नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी का निर्माण (जिसे इसके बाद "पनेम" के रूप में संदर्भित किया गया है)। उक्त समझौता

1 (2014) 9 एस. सी. सी. 516 पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी. ई. एम. टी. ए. कोल लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

कोयला खानों से कोयले के खनन, परिवहन और वितरण के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से पी. एस. ई. बी. को अधिकार प्रदान किए। चूंकि ई. एम. टी. ए. एक साझेदारी फर्म होने के नाते संयुक्त उद्यम कंपनी का शेयरधारक नहीं हो सकता था, इसलिए पी. एस. ई. बी., ई. एम. टी. ए. और ई. एम. टी. ए. के तीन भागीदारों के बीच 21 मार्च 2001 को एक अनुवर्ती संयुक्त उद्यम समझौता किया गया था।

(इसके बाद झारखंड राज्य में पी. एस. ई. बी. को "पछवाड़ा कोयला ब्लॉक" के रूप में संदर्भित किया गया। 22 फरवरी 2002 को, भारत संघ ने संयुक्त उद्यम द्वारा पछवाड़ा कोयला ब्लॉक से कोयले की आपूर्ति को अधिसूचित किया। विशेष आधार पर पी. एस. ई. बी. के बिजली स्टेशनों को कंपनी (पनेम)

पछवारा कोयला ब्लॉक के गैर-वन क्षेत्रों से कोयले के खनन के लिए झारखंड सरकार और पनेम के बीच पट्टे का निष्पादन किया गया था। इसके बाद 30 अगस्त 2006 को पनेम और पी. एस. ई. बी. के बीच आपूर्ति और आपूर्ति के उद्देश्य से एक कोयला खरीद समझौता किया गया। पछवाड़ा कोयला ब्लॉक से पी. एस. ई. बी. के बिजली स्टेशनों तक कोयले की डिलीवरी। 6 जनवरी 2007 को झारखंड सरकार द्वारा कोयला ब्लॉक के वन क्षेत्रों से भी कोयले के खनन के लिए पनेम के पक्ष में खनन पट्टा जारी किया गया था।

6. 2014 तक कोई समस्या नहीं थी। हालांकि, 25 अगस्त 2014 को मनोहर लाल शर्मा-I के मामले में इस अदालत ने फैसला सुनाया कि

1993 और 2011 के बीच किए गए कोयला ब्लॉकों का आवंटन, प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किए गए ब्लॉकों को छोड़कर, अमान्य, अनुचित, मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। 24 सितंबर 2014 को, मनोहर लाल शर्मा बनाम के मामले में आगे के आदेश पारित किए गए। प्रधान सचिव और अन्य 2, इस न्यायालय ने 1993 और 2011 के बीच केंद्र सरकार द्वारा किए गए सभी कोयला ब्लॉक आवंटन को रद्द कर दिया। इस न्यायालय ने विद्वान महान्यायवादी की इस दलील को भी स्वीकार कर लिया कि फैसले के दायरे में आने वाले और बाद के आदेश के दायरे में आने वाले चार कोयला ब्लॉकों के अलावा कोयला ब्लॉकों के आवंटनकर्ताओं को प्रति मीट्रिक टन कोयले के लिए Rs.295/- की राशि का भुगतान करना होगा।

एक अतिरिक्त शुल्क के रूप में निकाला गया। मनोहर लाल शर्मा-I के मामले में इस न्यायालय के फैसले के अनुसरण में, कोयला खदानें (विशेष

2 2 (2014) 9 एससीसी 614 [2021] 11 एस. सी. आर.

प्रावधान) अध्यादेश, 2014 ("पहला अध्यादेश") 21 अक्टूबर 2014 को जारी किया गया था। दूसरा अध्यादेश 26 दिसंबर 2014 को जारी किया गया था। मनोहर लाल शर्मा-I के मामले में अवमानना कार्यवाही में फरवरी 2015 में इस न्यायालय द्वारा पारित आगे के आदेशों के अनुसार, पूर्व आबंटियों द्वारा Rs.295/- प्रति मीट्रिक टन की दर से एक अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद 30 मार्च 2015 को उक्त अधिनियम को अधिसूचित किया गया, जिससे दूसरा अध्यादेश निरस्त हो गया। 7. केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2015 के आवंटन आदेश के माध्यम से फिर से पी. एस. पी. सी. एल. के पक्ष में पछवाड़ा कैप्टिव कोयला ब्लॉक आवंटित किया। चूंकि पी. एस. पी. सी. एल. धान के मौसम के लिए कोयले की भारी कमी का सामना कर रहा था, और कोयला ब्लॉक के बंद होने के परिणामस्वरूप अचानक रोजगार का नुकसान हुआ था, इसलिए इसने 30 जून 2015 को ई. एम. टी. ए. के साथ एक अस्थायी समझौता किया। अस्थायी समझौते के खंड 1.1.20 के अनुसार, उक्त अनुबंध नौ महीने की अवधि के लिए था या जब तक कि पी. एस. पी. सी. एल. द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से माइन डेवलपर-सह-ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं की गई थी। 23 जुलाई 2015 को, पी. एस. पी. सी. एल. ने भारत संघ को संक्रमणकालीन समझौते के बारे में सूचित किया। उस पर

31 अगस्त 2015 में, पी. एस. पी. सी. एल. ने कोयले की आपूर्ति के लिए माइन डेवलपर-सह-ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए बोलियां आमंत्रित करते हुए वैश्विक निविदा (इसके बाद "एन. आई. टी". के रूप में संदर्भित) आमंत्रित करने वाली सूचना प्रकाशित की।

8. ई. एम. टी. ए. ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष 2015 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 26180 के रूप में एक दीवानी रिट याचिका दायर की, जिससे

एन. आई. टी. ने कहा। 10 फरवरी 2016 को उच्च न्यायालय ने पी. एस. पी. सी. एल. को 29 फरवरी 2016 तक वित्तीय बोलियां खोलने से रोकने का निर्देश दिया। 1 फरवरी 2018 को 2015 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 26180 को इस रूप में खारिज कर दिया गया था

पी. एस. पी. सी. एल. द्वारा दिए गए बयान के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा वापस लिया गया कि वह ई. एम. टी. ए. द्वारा किए गए अभ्यावेदन-सह-दावों पर विचार करेगा और पछवाड़ा में कोयला खदानों के आवंटन के लिए नई निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से पहले उस पर निर्णय लेगा। तदनुसार, ई. एम. टी. ए. द्वारा 20 फरवरी 2018 को एक अभ्यावेदन दिया गया था, जिसे पी. एस. पी. सी. एल. द्वारा 6 अप्रैल 2018 को अस्वीकार कर दिया गया था। वैसा ही हुआ।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 10055 के रूप में एक सिविल रिट याचिका दायर करके ई. एम. टी. ए. द्वारा चुनौती दी गई।

9. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस बीच, चूंकि निविदा प्रक्रिया

विभिन्न रिट याचिकाओं के कारण स्थगित होने के कारण, पी. एस. पी. सी. एल. ने 31 अगस्त 2015 की वैश्विक निविदा को छोड़ने के लिए 30 जून 2017 को एक प्रस्ताव पारित किया। 2018 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 10055 के लंबित रहने के दौरान, 30 अप्रैल 2018 को, पी. एस. पी. सी. एल. ने

पछवाड़ा कोयला ब्लॉक पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए माइन डेवलपर-सह-ऑपरेटर के चयन के लिए वैश्विक बोलियां आमंत्रित करने के लिए प्रस्ताव के लिए एक नया अनुरोध (आर. एफ. पी.) जारी किया।

वी. ई. एम. टी. ए. कोल लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

प्रतिस्पर्धी उलट बोली प्रक्रिया के माध्यम से। इसी को ई. एम. टी. ए. द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 16245 नामक एक अन्य सिविल रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी। पी. एस. पी. सी. एल. ने एक लिखित बयान दाखिल करके इसका विरोध किया। दिनांक 30 अप्रैल 2018 के आर. एफ. पी. के अनुसार, बोलियां 10 अगस्त 2018 को खोली गईं। सबसे कम बोली डी. बी. एल.-वी. पी. आर. कंसोर्टियम द्वारा प्रस्तुत की गई थी जो एस. एल. पी. (सी) संख्या से उत्पन्न अपील में अपीलार्थी है। 14384-14385 2021 से। उक्त डी. बी. एल.-वी. पी. आर. कंसोर्टियम और एक कोयला खनन के पक्ष में पुरस्कार पत्र जारी किया गया था।

11 सितंबर 2018 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 25 जनवरी 2019 के विवादित फैसले और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने सिविल रिट याचिकाओं को उपरोक्त रूप में स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर, वर्तमान

अपीलें करें।

10. अपीलार्थी-पी. एस. पी. सी. एल. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री के. वी. विश्वनाथन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने

यह मानने में गलती की कि ई. एम. टी. ए. को इनकार करने का पहला अधिकार था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि 1993 और 2011 के बीच कोयला ब्लॉकों का पूर्व आवंटन रद्द कर दिया गया था, क्योंकि इस न्यायालय ने मनोहर लाल शर्मा-I में कहा था कि उक्त आवंटन मनमाना, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त अधिनियम की धारा 11 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि यह पी. एस. पी. सी. एल. का विवेकाधिकार था कि एक सफल आवंटनकर्ता को मौजूदा अनुबंधों को जारी रखने या न रखने की अनुमति दी जाए, जो कोयला खनन संचालन के संबंध में नए आवंटन से पहले मौजूद थे। श्री विश्वनाथन ने कहा कि केवल तभी जब आबंटित व्यक्ति पुराने अनुबंधों को जारी रखने का निर्णय लेता है,

अवशिष्ट अवधि के लिए नवीनता का गठन उत्पन्न होगा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) को ध्यान में रखते हुए, जब कोई आबंटित व्यक्ति तीसरे पक्ष के साथ पूर्व आबंटितों द्वारा किए गए मौजूदा अनुबंधों को जारी नहीं रखने का निर्णय लेता है, तो ऐसे सभी अनुबंध अनुसूची I कोयला खदानों के संबंध में सफल बोलीदाता या आबंटित व्यक्ति के खिलाफ लागू होने योग्य नहीं होंगे।

अनुबंध करने वाले पक्ष पूर्व आबंटियों के खिलाफ होंगे। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि उक्त अधिनियम की धारा 16 में निम्नलिखित प्रावधान हैं - भूमि के साथ-साथ खनन अवसंरचना के लिए मुआवजा।

11. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रति मीट्रिक टन Rs.295/- के भुगतान के लिए इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में, उक्त राशि का भुगतान करना ई. एम. टी. ए. का दायित्व था

रु. 1400 एक करोड़। उन्होंने कहा कि हालांकि, ई. एम. टी. ए. उक्त भुगतान करने में विफल रहा है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि उच्च [2021] 11 एस. सी. आर. के निष्कर्ष।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ई. एम. टी. ए. की वैध अपेक्षा के संबंध में न्यायालय पूरी तरह से अस्थिर हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि वैध अपेक्षा क़ानून के खिलाफ लागू नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि पी. एस. पी. सी. एल. ने प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा माइन डेवलपर-सह-ऑपरेटर नियुक्त करने का नीतिगत निर्णय लिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नीति उचित है और इस तरह की उचित नीति के खिलाफ वैध अपेक्षा लागू नहीं होगी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने केरल राज्य पेय पदार्थ (एम एंड एम) निगम लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। पी. पी. सुरेश और अन्य 3.

12. श्री विश्वनाथन ने आगे कहा कि आवंटन समझौते के खंड 12.4 को देखते हुए, पी. एस. पी. सी. एल. केवल एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक खदान विकासकर्ता-सह-संचालक नियुक्त करने के लिए बाध्य था। उन्होंने कहा कि कुछ आवश्यकताओं के कारण, पी. एस. पी. सी. एल. ने नौ महीने की सीमित अवधि के लिए ई. एम. टी. ए. के साथ एक अस्थायी व्यवस्था की थी। हालाँकि, भारत संघ द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था और पी. एस. पी. सी. एल. को कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया गया था। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवंटन समझौते के खंड 12.4 को सही परिप्रेक्षय में समझते हुए, पी. एस. पी. सी. एल. ने आर. एफ. पी. जारी करने का निर्णय लिया था, जिसमें खदान विकासकर्ता-सह-प्रचालक की नियुक्ति के लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। 13. अपीलार्थी-डी. बी. एल.-वी. पी. आर. कंसोर्टियम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. ए. एम. सिंघवी भी श्री विश्वनाथन द्वारा की गई दलीलों का समर्थन करते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि डी. बी. एल.-वी. पी. आर. संघ ने

वैश्विक निविदा में भाग लिया और सबसे कम बोली लगाने वाला है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में घोर गलती की है कि बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद ई. एम. टी. ए. को पहले इनकार करने का अधिकार था और डी. बी. एल.-वी. पी. आर. के प्रस्ताव के बारे में सभी को

पता था। इसलिए उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश को दरकिनार करने की आवश्यकता है।

14. प्रतिवादी-ई. एम. टी. ए. की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने पी. एस. पी. सी. एल. की ओर से की गई दलीलों का जोरदार विरोध किया। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि ई. एम. टी. ए. ने खनन, खनन खंडों तक सड़कों के निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के उद्देश्य से विशेष मशीनरी तैनात करके भारी निवेश किया है। उन्होंने कहा कि चूंकि अनुबंध 30 साल की अवधि के लिए किया गया था, इसलिए ई. एम. टी. ए. को 30 साल की उक्त अवधि पूरी होने तक जारी रहने की वैध उम्मीद है। इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने सही माना है कि ई. एम. टी. ए. को पहले इनकार करने का वैध अधिकार था।

3 3 (2019) 9 एस. सी. सी. 710 पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी. ई. एम. टी. ए. कोल लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

15. श्री रोहतगी ने कहा कि उक्त अधिनियम की धारा 11 (1) के पीछे विधायी इरादा एक मौजूदा ठेकेदार को जारी रखने की अनुमति देना है यदि उसका प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाता है, और उसके खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं है। ई. एम. टी. ए. पाया गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि, पी. एस. पी. सी. एल. ने मनमाने और तर्कहीन तरीके से ई. एम. टी. ए. के दावे का खंडन किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि केवल तभी जब मौजूदा ठेकेदार का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है या उसके खिलाफ कुछ होता है, तो आवंटनकर्ता प्रतिस्पर्धी बोली का सहारा लेने का हकदार होगा।

16. श्री रोहतगी ने आगे कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने के. पी. सी. एल. बनाम के. पी. सी. एल. के मामले में भी ऐसा ही विचार रखा है। ई. एम. टी. ए. कोयला सीमित और अन्य। उन्होंने प्रस्तुत किया कि के फैसले से व्यथित

कर्नाटक उच्च न्यायालय, केपीसीएल ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस न्यायालय ने कीमत निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की और ई. एम. टी. ए., जो उक्त मामले में एक खदान विकासकर्ता भी था, को विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित दरों पर संचालन जारी रखने की अनुमति दी गई। उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संबोधित 9 जून 2020 के पत्र से यह स्पष्ट होगा कि यह भारत संघ का भी रुख है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 आवंटन समझौते के खंड 12 पर लागू होती है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि पी. एस. पी. सी. एल. की ओर से यह तर्क कि आवंटन समझौते के खंड 12.4 के कारण, पी. एस. पी. सी. एल. प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा एक माइन डेवलपर-सह-ऑपरेटर नियुक्त करने के लिए बाध्य था,

अस्थिर है।

17. उन्होंने आगे कहा कि विवादित फैसले और आदेश से पी. एस. पी. सी. एल. के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कीमत अब है

उच्च न्यायालय द्वारा ज्ञात और जो किया गया है वह केवल एक

पी. एस. पी. सी. एल. और योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि 6 अप्रैल 2018 को पी. एस. पी. सी. एल. द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि ई. एम. टी. ए. के प्रतिनिधित्व का निर्णय बिना कोई वैध कारण बताए पूरी तरह से किया गया है। 4 आईएलआर 2016 कर 4301 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, यह आवश्यक होगा कि

उक्त अधिनियम की धारा 11 का संदर्भ लें:

" 11. पूर्व आबंटितों के साथ तीसरे पक्ष के अनुबंधों का निर्वहन या अपनाना। (1) तत्काल प्रभाव से किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक सफल बोलीदाता या आवंटनकर्ता, जैसा भी मामला हो, अनुसूची I कोयला खदानों के संबंध में, ऐसे अनुबंधों को अपनाने और जारी रखने का चुनाव कर सकता है जो कोयला खनन कार्यों के संबंध में किसी भी पूर्व आवंटनकर्ता के साथ मौजूद हो सकते हैं और यह अवशिष्ट अवधि या अवशिष्ट अवधि के लिए एक नवीनता का गठन करेगा।

इस तरह के अनुबंध का निष्पादन:

बशर्ते कि ऐसी स्थिति में, सफल बोलीदाता या आवंटनकर्ता या पूर्व आवंटनकर्ता नामित प्राधिकारी को सफल बोलीदाता द्वारा अपनाए गए किसी भी अनुबंध के निहित होने को शामिल करने के लिए सूचित करेगा।

(2) यदि कोई सफल बोलीदाता या आवंटनकर्ता तीसरे पक्ष के साथ पूर्व आवंटनकर्ताओं द्वारा किए गए मौजूदा अनुबंधों को न अपनाने या जारी रखने का चुनाव करता है, तो उस स्थिति में ऐसे सभी अनुबंध जो स्वीकार नहीं किए गए हैं या जारी नहीं रखे गए हैं, अनुसूची-1 कोयला खदान और उसके उपचार के संबंध में सफल बोलीदाता या आवंटनकर्ता के खिलाफ प्रवर्तनीय नहीं रहेंगे।

अनुबंध करने वाले पक्ष पूर्व आबंटियों के खिलाफ होंगे।

20. यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि उक्त अधिनियम इस न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में अधिनियमित किया गया था - मनोहर लाल शर्मा-I, जिसमें इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि 1993 और 2011 के बीच कोयला ब्लॉकों का आवंटन मनमाना, अवैध और संविधान के अनुच्छेद 14 का

उल्लंघन था। उक्त अधिनियम की धारा 11 के सरल अध्ययन से पता चलता है कि यह एक गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होता है। यह प्रावधान करता है कि एक सफल बोलीदाता या आवंटनकर्ता, जैसा भी मामला हो, के संबंध में

अनुसूची I कोयला खदानें, कोयले के संबंध में किसी भी पूर्व आबंटित व्यक्ति के साथ ऐसे अनुबंधों को अपनाने और जारी रखने के लिए चुनाव कर सकती हैं

जो खनन संचालन कर सकते हैं और वही अवशिष्ट के लिए एक नवीनता का गठन करेंगे।

ऐसे अनुबंध की अवधि या अवशिष्ट निष्पादन।

21. "चुनाव कर सकते हैं" शब्द स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि विधायिका ने एक सफल बोलीदाता या आवंटनकर्ता को चुनाव करने के लिए पूरा विवेक दिया है। "चुनाव कर सकते हैं" शब्दों का अर्थ चुनाव न करने का विवेक भी होगा। केवल उस स्थिति में, जब एक सफल बोलीदाता या आवंटनकर्ता ऐसे अनुबंध को अपनाने और जारी रखने का निर्णय लेता है, जो कोयला खनन कार्यों के संबंध में किसी भी पूर्व आवंटनकर्ता के साथ मौजूद हो सकता है, तो वह एक नवीन पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड का गठन करेगा।

ऐसे अनुबंध की अवशिष्ट अवधि या अवशिष्ट निष्पादन के लिए। यदि सफल आबंटित व्यक्ति इस तरह के अनुबंध को अपनाने या जारी रखने का विकल्प नहीं चुनता है, तो इस तरह के अनुबंध की अवशिष्ट अवधि या अवशिष्ट प्रदर्शन के लिए नवीनीकरण का कोई सवाल ही नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (2) के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि यदि कोई सफल बोलीदाता या आवंटनकर्ता तीसरे पक्ष के साथ पूर्व आवंटनकर्ताओं द्वारा किए गए मौजूदा अनुबंध को न अपनाने या जारी रखने का चुनाव करता है, तो ऐसे सभी अनुबंध जो स्वीकार नहीं किए गए हैं या जारी नहीं रखे गए हैं, अनुसूची I कोयला खदानों के संबंध में सफल बोलीदाता या आवंटनकर्ता के खिलाफ लागू होने योग्य नहीं रहेंगे और ऐसे अनुबंधकर्ता पक्षों का उपाय पूर्व आवंटनकर्ताओं के खिलाफ होगा। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) और (2) को सीधे पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि सफल आबंटकर्ता या बोलीदाता को यह निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता है कि -

क्या वह कोयला खनन संचालन के संबंध में ऐसे किसी भी मौजूदा अनुबंध को जारी रखना या अपनाना चाहता है। केवल उस स्थिति में जब वह मौजूदा अनुबंधों को अपनाने या जारी रखने का चुनाव करता है, तो यह ऐसे अनुबंधों की अवशिष्ट अवधि या अवशिष्ट प्रदर्शन के लिए नवीनता का गठन करेगा। यदि सफल बोलीदाता या आवंटनकर्ता मौजूदा अनुबंधों को नहीं अपनाने या जारी रखने का चुनाव करता है, तो ऐसे सभी अनुबंध अनुसूची I कोयला खदानों के संबंध में सफल बोलीदाता या आवंटनकर्ता के खिलाफ लागू होने योग्य नहीं होंगे। ऐसे अनुबंध करने वाले पक्षों का एकमात्र उपाय पूर्व आबंटियों के खिलाफ होगा।

22. क़ानून में शब्दों को एक सादा और शाब्दिक अर्थ देने का सिद्धांत सदियों से अच्छी तरह से जाना जाता है। हालांकि कई हैं

निर्णयों में, हम लाभप्रद रूप से 1955 में जुगलकिशोर सराफ बनाम के मामले में न्यायमूर्ति दास द्वारा दिए गए इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड ':

" क़ानूनों के निर्माण का मुख्य नियम क़ानून को शाब्दिक रूप से पढ़ना है, यानी विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों को उनका सामान्य, प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ देना। हालाँकि, यदि इस तरह के पढ़ने से बेतुकेपन की ओर जाता है और शब्द किसी अन्य अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील हैं, तो न्यायालय इसे अपना सकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई वैकल्पिक निर्माण संभव नहीं है, तो न्यायालय को सामान्य नियम को अपनाना चाहिए -

शाब्दिक व्याख्या "।

सरल और शाब्दिक शब्द में माने जाने पर, वे बेतुकेपन की ओर नहीं ले जाते हैं और 5 [1955] 1 एस. सी. आर. 1369 [2021] 11 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस प्रकार, सरल और शाब्दिक व्याख्या के नियम का पालन करना होगा। हम पाते हैं कि यदि श्री रोहतगी द्वारा मांगी गई व्याख्या को स्वीकार किया जाता है, तो यह उक्त अधिनियम की धारा 11 की भाषा के साथ पूरी तरह से हिंसा करेगा। यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत, एक पूर्व ठेकेदार जारी रखने का हकदार है यदि उसका प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाता है और यदि उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है, तो यह उक्त अधिनियम की धारा 11 में कुछ प्रावधान करेगा जो क़ानून में है।

प्रदान नहीं किया गया। यह "चुनाव कर सकते हैं, अपना सकते हैं और जारी रख सकते हैं" शब्दों को अनावश्यक और निरर्थक बनाने की ओर भी ले जाएगा। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जब, एक में उपयोग किए गए शब्दों की एक स्पष्ट और शाब्दिक व्याख्या पर

क़ानून, विधायी इरादे को इकट्ठा किया जा सकता है, क़ानून में शब्द जोड़ने की अनुमति नहीं है। समान रूप से, ऐसी व्याख्या से बचा जाना चाहिए जो किसी क़ानून में उपयोग किए गए कुछ शब्दों को निरर्थक या अर्थहीन बना दे। इसलिए हम पाते हैं कि यदि एक व्याख्या रखी जानी चाहिए

ई. एम. टी. ए. द्वारा स्वीकार किया जाना है, यह पूरी तरह से शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत के विपरीत होगा। उक्त प्रस्ताव के समर्थन में कई अधिकारी हैं। तथापि, हम अजीत मोहन और अन्य बनाम के

मामले में हाल के निर्णय में इस न्यायालय द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उनका उल्लेख करने से बचते हैं। विधानसभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य ":

" 239. ..... हमारे विचार में यदि न्यायालय द्वारा कानून के प्रस्ताव पर संदेह नहीं किया जाता है, तो इसे एक पूर्ववर्ती की आवश्यकता नहीं है जब तक कि इसके लिए नहीं कहा जाता है। यदि किसी कानूनी प्रस्ताव के बारे में कोई सवाल उठाया जाता है, तो निर्णय उस प्रस्ताव से संबंधित होना चाहिए-न कि कई निर्णय। इस प्रकार ,
उस संबंध में विवाद को आधारहीन पाया जाता है।

23. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने भी उक्त अधिनियम की धारा 11 में उपयोग की गई भाषा के संबंध में उक्त कानूनी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा है।

एक्ट करें। उक्त अधिनियम की धारा 11 के साथ पठित अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 62 पर विचार करते समय, यह पाया गया है कि अनुबंध के पक्ष स्वेच्छा से एक नए अनुबंध को प्रतिस्थापित करने या इसे रद्द करने या बदलने के लिए सहमत हो सकते हैं।

यह। हालाँकि, यह देखने के बाद, उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करने में गलती की है कि ई. एम. टी. ए. की एक वैध अपेक्षा थी। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की है:

" इसलिए इसे मुश्किल में नहीं छोड़ा जा सकता था, खासकर जब उसी खदान को निगम को फिर से आवंटित किया गया था।

निरंतरता। वास्तव में, उत्तरदाता बहुत अच्छी तरह से उनके भीतर थे

62021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 456 पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी. ई. एम. टी. ए. कोल लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

धारा 11 के तहत विचार प्रदान करते समय व्यवस्था को अस्वीकार करने का अधिकार यदि याचिकाकर्ता का प्रदर्शन था असंतोषजनक
या यदि कोई अन्य कारक था जो

निगम ने व्यवस्था को पूरी तरह से त्यागने के लिए पर्याप्त प्रासंगिक पाया।

24. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया तर्क पूरी तरह से गलत है। केवल इसलिए कि कोयला खदान खंड पी. एस. पी. सी. एल. को आवंटित किया गया था,

विशेष रूप से उक्त अधिनियम की धारा 11 में उपयोग की गई भाषा को देखते हुए, यह ई. एम. टी. ए. के पक्ष में कोई निहित अधिकार नहीं दे सकता था। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क कि पी. एस. पी.

सी. एल. व्यवस्था को अस्वीकार करने के अपने अधिकार के भीतर था यदि ई. एम. टी. ए. का प्रदर्शन असंतोषजनक था या यदि कोई अन्य कारक था जिसे निगम ने व्यवस्था को पूरी तरह से त्यागने के लिए पर्याप्त प्रासंगिक पाया, तो हमारे विचार में, पूरी तरह से गलत है। 25. पहले के पैरा में यह देखने के बाद कि अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 62 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 11 को देखते हुए, एक अनुबंध के पक्षकार स्वेच्छा से एक नए अनुबंध को प्रतिस्थापित करने या इसे रद्द करने या इसे बदलने के लिए सहमत हो सकते हैं, उच्च न्यायालय ने पी. एस. पी. सी. एल. को ई. एम. टी. ए. के साथ अनुबंध जारी रखने के लिए मजबूर करने में गलती की है, हालांकि वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था।

26. वैध अपेक्षा के संबंध में इस मुद्दे पर हाल ही में इस न्यायालय की एक पीठ द्वारा विचार किया गया है, जिसमें हम में से एक (एल. नागेश्वर राव, जे.) सदस्य थे। इस मुद्दे पर विभिन्न प्राधिकरणों पर विचार करने के बाद, केरल राज्य पेय (एम एंड एम) के मामले में

निगम सीमित (ऊपर), यह इस प्रकार देखा गया था:

" 20. निर्णय निर्माताओं की सार्वजनिक रूप से नीति को बदलने की स्वतंत्रता

मूल वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू करके ब्याज को बाधित नहीं किया जा सकता है। [फाइंडले, 1985 ए. सी. 318: (1984) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 1159: (1984) 3 सभी ई. आर. 801 (एच. एल.)] जब तक सरकार मनमाने ढंग से या अनुचित तरीके से कार्य नहीं करती है, नीति में परिवर्तन के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्ति की वैध अपेक्षा के आधार पर न्यायिक समीक्षा द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

व्यक्तियों का समूह पराजित हो रहा है "।

27. श्री विश्वनाथन ने ई. एम. टी. ए. कोल लिमिटेड और अन्य बनाम के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। पश्चिम

बंगाल विद्युत विकास निगम '। इसके विपरीत, श्री रोहतगी ने के. पी. सी. एल. बनाम में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। ई. एम. टी. ए. कोल लिमिटेड (ऊपर)। हम इस मुद्दे में नहीं जाना चाहते हैं

28. जहां तक भारत संघ के 9 जनवरी 2020 के पत्र पर श्री रोहतगी द्वारा रखी गई निर्भरता का संबंध है, तो ऐसा नहीं हो सकता है - सन्देह है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 और खंड 12.4 के बीच। 1 आबंटन समझौते के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा 11 प्रबल होगी। द.

सवाल यह है कि क्या उक्त अधिनियम की धारा 11 सफल आवंटनकर्ता को मौजूदा अनुबंध को जारी रखने के लिए अनिवार्य करती है। जवाब, जाहिर है, है

6 अप्रैल 2018 का आदेश पी. एस. पी. सी. एल. द्वारा पूरी तरह से मनमाने और तर्कहीन तरीके से पारित किया गया था। 30. पी. एस. पी. सी. एल. द्वारा दिनांक 6 अप्रैल 2018 को पारित आदेश, राज्य के एक प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यकारी कार्यों के प्रयोग में पारित एक आदेश है। प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा का दायरा अच्छा रहा है।

टाटा सेल्युलर बनाम के निर्णय में इस न्यायालय द्वारा स्पष्टीकृत। भारत संघ 3. टाटा सेल्युलर (उपरोक्त) के मामले में फैसले का बाद में इस न्यायालय के कई फैसलों में पालन किया गया है। रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड के मामले में यह न्यायालय और एक अन्य बनाम। कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण और अन्य ने कहा है कि प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा जारी करने के संबंध में जो निर्णय लिया जाता है, वह टाटा सेल्युलर (उपरोक्त) के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय है। न्यायालय ने कहा है कि

पूर्ववर्ती आदेश देता है कि कानून की इस व्याख्या का पालन समन्वय या सह-समान पीठों द्वारा और निश्चित रूप से सभी छोटी पीठों और अधीनस्थ अदालतों द्वारा किया जाए और लागू किया जाए। इस न्यायालय ने कानून की उक्त घोषणा के बाद निर्णयों के कैटेना को संदर्भित करने की प्रथा की और निंदा की है। इसलिए हम बाद के निर्णय का उल्लेख करने से बचते हैं,

और टाटा सेल्युलर (ऊपर) में प्रासंगिक टिप्पणियों को पुनः प्रस्तुत करें, जो इस प्रकार हैं:

8 (1994) 6 एस. सी. सी. 651

9 (2013) 10 एस. सी. सी. 95 जेब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी. ई. एम. टी. ए. कोल लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

" 70. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत मनमानेपन या पक्षपात को रोकने के लिए सरकारी निकायों द्वारा संविदात्मक शक्तियों के प्रयोग पर लागू होंगे। हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि न्यायिक समीक्षा की उस शक्ति के प्रयोग में अंतर्निहित सीमाएँ हैं। सरकार राज्य के वित्त की संरक्षक होती है। इससे राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा होने की उम्मीद है। सबसे कम या किसी अन्य निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सरकार के पास हमेशा उपलब्ध रहता है। लेकिन, निविदा स्वीकार या अस्वीकार करते समय संविधान के अनुच्छेद 14 में निर्धारित सिद्धांतों को

ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि सरकार सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या सर्वश्रेष्ठ उद्धरण प्राप्त करने का प्रयास करती है तो अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। चुनने के अधिकार को मनमाना शक्ति नहीं माना जा सकता है। बेशक, यदि उक्त शक्ति का प्रयोग किसी संपार्श्विक उद्देश्य के लिए किया जाता है तो उस शक्ति का प्रयोग निरस्त कर दिया जाएगा।

चाहे वे संविदात्मक हों या राजनीतिक प्रकृति के हों या सामाजिक नीति के मुद्दे; इस प्रकार वे अनिवार्य रूप से न्यायसंगत नहीं हैं और किसी भी अन्याय को दूर करने की आवश्यकता है। इस तरह के अन्याय को न्यायिक समीक्षा द्वारा सही ठहराया जाता है। 72. नॉटिंघमशायर काउंटी काउंसिल बनाम में लॉर्ड स्कारमैन। पर्यावरण राज्य सचिव [1986 एसी 240,251: (1986) 1 सभी ईआर 199] घोषित किए गए:

" " न्यायिक समीक्षा न्यायाधीशों के हाथों में एक बड़ा हथियार है, लेकिन न्यायाधीशों को हमारे द्वारा निर्धारित संवैधानिक सीमाओं का पालन करना चाहिए।

इस लाभकारी अभ्यास पर संसदीय प्रणाली शक्ति "।

इस पर टिप्पणी करते हुए माइकल सपरस्टोन और जेम्स गौडी ने अपने काम न्यायिक समीक्षा (1992 एडन.) में पी। 16 कहो:

" यदि किसी को इस ऋषि चेतावनी को हाल के समय के उच्च न्यायपालिका के सबसे कट्टरपंथी सदस्य की ओर से केवल एक आज्ञाकारी उक्ति के रूप में खारिज करने के लिए प्रेरित किया गया था, और इसलिए इसे एक विशिष्ट विचलन के रूप में माना जाता है, तो इसे समर्थन प्राप्त हुआ है

आम तौर पर लॉ लॉर्ड्स। लॉर्ड स्कारमैन के शब्दों को हारविच के लॉर्ड ब्रिज द्वारा प्रतिध्वनित किया गया था, जो बुचर बनाम में न्यूजीलैंड कोर्ट ऑफ अपील के एक हस्तक्षेपवादी फैसले को उलटते समय बोर्ड की ओर से बोल रहे थे। पेट्रोकॉर्प अन्वेषण

लि. 18-3-1991 ". [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

73. न्यायिक संयम का पालन वर्तमान में मनोदशा में है

इंग्लैंड। समीक्षा की न्यायिक शक्ति का प्रयोग किसी भी बेलगाम कार्यकारी कार्यप्रणाली पर लगाम लगाने के लिए किया जाता है। संयम में दो हैं

समकालीन अभिव्यक्तियाँ। एक न्यायपालिका का दायरा है।

हस्तक्षेप; दूसरा इसके गुण-दोष पर एक प्रशासनिक निर्णय को रद्द करने की अदालत की क्षमता के दायरे को शामिल करता है। ये प्रतिबंध प्रशासनिक कार्रवाई पर न्यायिक नियंत्रण के लक्षण हैं। 74. न्यायिक समीक्षा का संबंध उस निर्णय के गुण-दोष की समीक्षा से नहीं है जिसके समर्थन में न्यायिक समीक्षा के लिए आवेदन किया जाता है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया से है।

75. उत्तरी वेल्स के मुख्य सिपाही

पुलिस वी. इवांस [(1982) 3 ऑल ईआर 141,154] लॉर्ड ब्राइटमैन ने कहा:

" न्यायिक समीक्षा, जैसा कि शब्दों से पता चलता है, किसी निर्णय की अपील नहीं है, बल्कि उस तरीके की समीक्षा है जिसमें निर्णय लिया गया था। बनाया गया।

***

अदालत की शक्ति का पालन किया जाता है, अदालत मेरे विचार में, के तहत सत्ता के दुरुपयोग को रोकने की आड़ में, खुद को दोषी ठहराएँ

सत्ता हड़पना "।

इसी मामले में लॉर्ड हेलशम ने आर. एस. सी., ओ. आर. डी. के तहत न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उपचार के उद्देश्य पर टिप्पणी की। 53 में

निम्नलिखित शर्तें -

" यह उपचार, विस्तार में काफी बढ़ गया है, और हाल के वर्षों में एक लंबी अवधि में, असीम रूप से अधिक सुविधाजनक पहुंच प्रदान की गई है।

इसके अलावा जो एक घोषणा के लिए पुराने विशेषाधिकार रिट और कार्यों द्वारा प्रदान किया गया है, उसका उद्देश्य व्यक्ति को न्यायिक, अर्ध न्यायिक अधिकारियों की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा शक्ति के दुरुपयोग से बचाना है, और जैसा कि मूल रूप से सोचा गया होगा जब मैंने पहली बार बार में वकालत की थी, प्रशासनिक। लेने का इरादा नहीं है

उन अधिकारियों से कानून द्वारा उचित रूप से निहित शक्तियों और विवेचनाओं को दूर करना और निर्णय लेने वाले निकायों के रूप में अदालतों को प्रतिस्थापित करना। इसका उद्देश्य यह देखना है कि संबंधित अधिकारी अपनी शक्तियों का उचित तरीके से उपयोग करें (पी। 1160)। "

जेब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी. ई. एम. टी. ए. कोल लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

आर. वी. में टेक-ओवर और विलय पर पैनल, एक्स पी डेटाफिन

पीएलसी [(1987) 1 ऑल ईआर 564], सर जॉन डोनाल्डसन, एम. आर. ने टिप्पणी की:

" न्यायिक समीक्षा के लिए एक आवेदन एक अपील नहीं है।

लोनरो पीएलसी वी। व्यापार और उद्योग राज्य सचिव [(1989) 2 सभी ई. आर. 609], लॉर्ड कीथ ने कहा:

" न्यायिक समीक्षा एक संरक्षण है न कि एक हथियार।

इस प्रकार यह एक अपील से अलग है। अपील की सुनवाई करते समय न्यायालय अपील के तहत निर्णय के गुण-दोष से चिंतित होता है। अमीन में, रे [अमीन बनाम। प्रवेश मंजूरी अधिकारी, (1983) 2 ऑल ई. आर. 864], लॉर्ड फ्रेजर ने कहा कि:

" न्यायिक समीक्षा किसी निर्णय के गुण-दोष से संबंधित नहीं है, बल्कि उस तरीके से संबंधित है जिसमें निर्णय लिया गया था। न्यायिक समीक्षा एक सामान्य अपील से पूरी तरह से अलग है। इसे अदालत द्वारा अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित किए बिना प्रशासनिक निर्णय को रद्द करने से प्रभावी बनाया जाता है, और इसकी तुलना उस अपील से की जानी चाहिए जिसमें अपीलीय न्यायाधिकरण प्रशासनिक अधिकारी के गुण-दोष पर अपने निर्णय को प्रतिस्थापित करता है।

76. आर. वी. में टेक-ओवर और विलय पर पैनल, गिनीज पीएलसी में एक्स पी [(1990) 1 क्यूबी 146: (1989) 1 सभी ई. आर. 509], लॉर्ड डोनाल्डसन, एम. आर. ने न्यायिक समीक्षा क्षेत्राधिकार को पर्यवेक्षी या 'लॉन्गस्टॉप' क्षेत्राधिकार के रूप में संदर्भित किया। जब तक अदालत की शक्ति पर उस प्रतिबंध का पालन नहीं किया जाता है, तब तक अदालत, शक्ति के दुरुपयोग को रोकने की आड़ में, खुद को शक्ति हड़पने का दोषी ठहराएगी।

77. न्यायालय का कर्तव्य वैधता के प्रश्न तक ही सीमित रहना है। इसकी चिंता इस प्रकार होनी चाहिए:

1. क्या कोई निर्णय लेने वाला प्राधिकारी अपनी शक्तियों को पार कर गया है?

2. कानून की गलती की,

3. प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया,

4. एक निर्णय पर पहुँचा जो कोई उचित न्यायाधिकरण तक नहीं पहुँचा होगा या,

5. अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया।

इसलिए, यह निर्धारित करना अदालत का काम नहीं है कि उस नीति की पूर्ति में लिया गया कोई विशेष नीति या विशेष निर्णय उचित है या नहीं। यह केवल उस तरीके से संबंधित है जिसमें वे निर्णय लिए गए हैं। निष्पक्ष रूप से कार्य करने के कर्तव्य की सीमा अलग-अलग होगी [2021] 11 एस. सी. आर.

एक मामले से दूसरे मामले में। संक्षेप में, जिन आधारों पर एक प्रशासनिक कार्रवाई न्यायिक समीक्षा द्वारा नियंत्रण के अधीन है, उन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

((i) अवैधता: इसका मतलब है कि निर्णय लेने वाले को उस कानून को सही ढंग से समझना चाहिए जो उसकी निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है और

उस पर प्रभाव डालना चाहिए। ((ii) अतार्किकता, अर्थात् वेड्सबरी अतार्किकता।

((iii) प्रक्रियात्मक अनुचितता।

उपरोक्त केवल व्यापक आधार हैं लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता है।

समय के साथ और आधार जोड़ना। वास्तव में, आर. वी. में गृह विभाग के लिए राज्य सचिव, पूर्व ब्रिंड [(1991) 1 एसी 696], लॉर्ड डिप्लॉक विशेष रूप से एक विकास को संदर्भित करता है, अर्थात्, आनुपातिकता के सिद्धांत की संभावित मान्यता। इन सभी मामलों में स्वीकार की जाने वाली कसौटी यह है कि अदालत को "इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कुछ गलत हुआ है और जिसके लिए उसके हस्तक्षेप की आवश्यकता है"।

78. वेड्सबरी का यह आकर्षक सिद्धांत क्या है?

अनुचितता? क्या यह एक जादुई सूत्र है? आर. वी. में अस्क्यू [(1768) 4 बुर 2186: 98 ई. आर. 139], लॉर्ड मैन्सफील्ड ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या कॉलेज ऑफ मैन्स के खिलाफ आदेश दिया जाना चाहिए।

चिकित्सक। उन्होंने दो वाक्पटु वाक्यों में प्रासंगिक सिद्धांतों को व्यक्त किया। उन्होंने दो शताब्दियों के बाद अधिक मूल्य प्राप्त किया:

" यह सच है कि इस पेशे का अभ्यास करने और अभ्यास करने के लिए इस कौशल, क्षमता, सीखने और पर्याप्तता को निर्धारित करने का निर्णय और विवेकाधिकार कॉलेज ऑफ फिजिशियन के लिए विश्वसनीय है और यह न्यायालय उनसे इसे नहीं लेगा, न ही उन्हें इसके उचित और उचित अभ्यास में बाधित करेगा। लेकिन अभ्यास में उनका आचरण इस प्रकार उनके लिए प्रतिबद्ध यह विश्वास निष्पक्ष, स्पष्ट और निष्पक्ष होना चाहिए; मनमाना, मनमौजी या पक्षपाती नहीं; बहुत कम,

नाराज़गी, या व्यक्तिगत नापसंद से विकृत "।

79. फिर से उद्धृत करने के लिए, माइकल सपरस्टोन और जेम्स गौडी; उनके कार्य न्यायिक समीक्षा (1992 संस्करण) में यह पीपी में देखा गया है। 119 121 तक निम्नानुसार:

" एक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा की गई तर्कसंगतता की जांच करने के दावे के दावे ने अनिवार्य रूप से उन परिस्थितियों के बारे में न्यायिक राय के मतभेद पैदा कर दिए जिनमें अदालत को करना चाहिए। हस्तक्षेप करें। इन मतभेदों को दो जे. ए. बी. स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हल किया गया था।

वी. ई. एम. टी. ए. कोल लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

ऐतिहासिक मामले जो परिस्थितियों को सीमित करते हैं

संकीर्ण सीमाओं के लिए हस्तक्षेप। क्रूज वी. में। जॉनसन [(1898) 2 क्यू. बी. 91: (1895-9) सभी ई. आर. प्रतिनिधि 105] एक विशेष रूप से गठित संभागीय न्यायालय को एक स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए उप-कानून की वैधता पर विचार करना था। लार्ड रसेल ऑफ किलोवेन, सी. जे. के प्रमुख निर्णय में, अदालत द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को निर्धारित किया गया था। इस तरह के उप-कानूनों की 'परोपकारी' व्याख्या की जानी चाहिए, और उन लोगों को श्रेय दिया जाना चाहिए जिन्हें उन्हें प्रशासित करना है कि उन्हें उचित रूप से प्रशासित किया जाएगा। यदि अनुचित हो तो उन्हें अमान्य ठहराया जा सकता है: जहां उदाहरण के लिए उप-कानूनों को उनके संचालन में आंशिक और असमान पाया गया, जैसे कि विभिन्न वर्गों के बीच, यदि वे स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण थे, यदि वे बुरे विश्वास का खुलासा करते थे, या यदि वे नागरिकों के अधिकारों में इस तरह के दमनकारी या अनावश्यक हस्तक्षेप में शामिल थे जो उचित लोगों के दिमाग में कोई औचित्य नहीं पा सकते थे। लॉर्ड रसेल ने इस बात पर जोर दिया कि एक अलविदा-कानून केवल इसलिए अनुचित नहीं है क्योंकि

विशेष न्यायाधीश सोच सकते हैं कि यह विवेकपूर्ण से अधिक आगे चला गया

या आवश्यक या सुविधाजनक।

1947 में अपील न्यायालय ने आम तौर पर एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड बनाम में कार्यकारी विवेकाधिकार की समीक्षा के लिए एक समान दृष्टिकोण की पुष्टि की। वेड्सबरी कॉर्प [(1948) 1 KB 223: (1947) 2 सभी ई. आर. 680]। यह मामला वेड्सबरी में एक सिनेमा के मालिकों की शिकायत से संबंधित था कि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा केवल रविवार को प्रदर्शन का लाइसेंस देना अनुचित था।

इस शर्त के अधीन कि 15 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी मनोरंजन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, चाहे वह उनके साथ हो।

वयस्क हो या न हो। एक व्यापक निर्णय में, लॉर्ड ग्रीन, एम. आर. ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि 'अनुचित' शब्द का उपयोग अक्सर इस अर्थ में किया जाता था जो विभिन्न आधारों को समझता था - समीक्षा करें। (पी. 229 , जहाँ यह कहा गया था कि लाल बाल होने के कारण एक शिक्षक की बर्खास्तगी (वॉरिंगटन, एल. जे. द्वारा लघु संस्करण में उद्धृत)। पूल

कॉर्प. [(1926) 1 अध्याय 66,91: 1925 सभी ई. आर. प्रतिनिधि 74], एक 'तुच्छ और मूर्खतापूर्ण कारण' के उदाहरण के रूप में), एक अन्य अर्थ में, बाहरी मामलों को ध्यान में रखना था, और ऐसा हो सकता है। अनुचित है कि इसे लगभग बुरे विश्वास में किए जाने के रूप में वर्णित किया जा सकता है; आर. वी. भी देखें। टावर हैमलेट्स लंदन बरो काउंसिल, एक्स पी चेतनिक डेवलपमेंट्स लिमिटेड. [1988 एसी 858,873: (1988) 2 डब्ल्यूएलआर 654: (1988) 1 सभी ई. आर. 961] (अध्याय 4, पृ. 73, ऊपर)। उन्होंने सिद्धांतों का सारांश इस प्रकार दिया:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

' न्यायालय को स्थानीय लोगों की कार्रवाई की जांच करने का अधिकार है।

यह देखने के लिए कि उन्होंने लिया है या नहीं, प्राधिकरण

उन मामलों को ध्यान में रखें जिन पर उन्हें ध्यान नहीं देना चाहिए था

खाता, या, इसके विपरीत, ध्यान में रखने से इनकार कर दिया है या जिस विषय को उन्हें लेना चाहिए, उसे ध्यान में रखने की उपेक्षा की गई

हिसाब में। एक बार जब उस प्रश्न का उत्तर इसके पक्ष में दिया जाता है

स्थानीय प्राधिकरण, यह अभी भी कहना संभव हो सकता है कि, हालांकि स्थानीय प्राधिकरण ने मामलों के चारों कोनों के भीतर रखा था।

जिन पर उन्हें विचार करना चाहिए, वे फिर भी आए हैं

एक निष्कर्ष इतना अनुचित है कि कोई उचित प्राधिकरण नहीं कर सकता है कभी उस पर आए हैं। ऐसे मामले में फिर से, मुझे लगता है कि अदालत

हस्तक्षेप कर सकते हैं। प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप करने की अदालत की शक्ति

के निर्णय को ओवरराइड करने के लिए एक अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नहीं है

स्थानीय प्राधिकरण, लेकिन एक न्यायिक प्राधिकरण के रूप में जो संबंधित है,

और केवल संबंधित, यह देखने के लिए कि क्या स्थानीय प्राधिकरण के पास है

उस शक्ति से अधिक कार्य करके कानून का उल्लंघन किया जो

संसद ने उन पर भरोसा किया है।

लॉर्ड ग्रीन द्वारा उनका सारांश अनगिनत में लागू किया गया है।

बाद के मामले।

" सिद्धांत का आधुनिक कथन एक परिच्छेद में पाया जाता है।

सिविल सेवा परिषद में लॉर्ड डिप्लॉक के भाषण में

यूनियन v. सिविल सेवा मंत्री [(1985) 1 अधिनियम 374: (1984)

3 सभी ईआर 935: (1984) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 1174]:

" "अतार्किकता" से मेरा मतलब है कि अब जिसे संक्षिप्त रूप से संदर्भित किया जा सकता है

नैतिक मानक कि कोई भी समझदार व्यक्ति जिसने अपने मानकों को लागू नहीं किया था तय किए जाने वाले प्रश्न पर ध्यान दिया जा सकता था।

999

. इस स्तर पर, द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस, 1993, खंड। 1 , पीपी।

19-850 , उद्धृत किया जा सकता है:

" 4. वेड्सबरी सिद्धांत। - सार्वजनिक प्राधिकरण का निर्णय रद्द किए जाने या अन्यथा एक द्वारा निपटाए जाने के लिए उत्तरदायी होगा

न्यायिक समीक्षा कार्यवाहियों में उपयुक्त आदेश जहां न्यायालय

निष्कर्ष यह है कि निर्णय ऐसा है कि कोई प्राधिकरण ठीक से नहीं है

संबंधित कानून पर खुद को निर्देशित करना और उचित रूप से कार्य करना पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर सकता है।

वी. ई. एम. टी. ए. कोल लिमिटेड। [बी. आर. गवई, जे.]

उस तक पहुँच गए हैं। (एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउस लिमिटेड बनाम वेड्सबरी कॉर्प. [(1948) 1 के बी 223: (1947) 2 सभी

ई. आर. 680], प्रति लॉर्ड ग्रीन, एम. आर.) "

81. अतार्किकता के दो अन्य पहलुओं का उल्लेख किया जा सकता है।

(1) यह अदालत के लिए निर्णय की समीक्षा करने के लिए खुला है-निर्माता तथ्यों का मूल्यांकन। अदालत हस्तक्षेप करेगी जहाँ

समग्र रूप से लिए गए तथ्य तार्किक रूप से निर्णय लेने वाले के निष्कर्ष की गारंटी नहीं दे सकते। यदि कार्रवाई के एक मार्ग की ओर इशारा करने वाले तथ्यों का भार भारी है, तो एक निर्णय दूसरा जिस तरह से, बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार, एम्मा होटल्स लिमिटेड बनाम। पर्यावरण राज्य सचिव [(1980) 41 पी एंड सी. आर. 255]

राज्य सचिव ने कई कारकों का उल्लेख किया जिनके कारण

वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि एक होटल में एक अनिवासी बार इस तरह से संचालित किया गया था कि बार योजना के उद्देश्यों के लिए होटल के उपयोग की घटना नहीं थी, बल्कि एक अलग उपयोग था। डिवीजनल कोर्ट ने उन कारकों का विश्लेषण किया जिनके कारण

उस निष्कर्ष पर राज्य सचिव और ऐसा करने के बाद, इसे अलग कर दिया। डोनाल्डसन, एल. जे. ने कहा कि वह यह नहीं देख सके कि किस आधार पर

राज्य सचिव अपने निष्कर्ष पर पहुँच गए थे। (2) एक निर्णय को अनुचित माना जाएगा यदि यह विभिन्न वर्गों के बीच अपने संचालन में निष्पक्ष और असमान है। आर. वी. में इस आधार पर बार्नेट लंदन बरो

काउंसिल, एक्स पी जॉनसन [(1989) 88 एलजीआर 73] में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में राजनीतिक दलों से संबद्ध लोगों की भागीदारी को प्रतिबंधित करने वाली स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाई गई शर्त

प्राधिकरण के उद्यानों को ध्वस्त कर दिया गया था।

31. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए

पुनरीक्षण, न्यायालय अंतिम निर्णय से नहीं बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित है। न्यायालय जिन सीमित क्षेत्रों में पूछताछ कर सकता है, वे हैं कि क्या निर्णय लेने वाले प्राधिकारी ने अपनी शक्तियों को पार कर लिया है।

कानून की त्रुटि या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया। यह इस बात की जांच कर सकता है कि क्या कोई प्राधिकरण किसी ऐसे निर्णय पर पहुंच गया है, जिस पर कोई उचित न्यायाधिकरण नहीं पहुंचा है या जिसने इसका दुरुपयोग किया है।

शक्तियाँ। यह निर्धारित करना अदालत का काम नहीं है कि कोई विशेष नीति या उस नीति को पूरा करने में लिया गया कोई विशेष निर्णय उचित है या नहीं। अदालत इस बात की जांच करेगी कि क्या किसी प्राधिकरण का निर्णय अवैधता, तर्कहीनता या प्रक्रियात्मक अनुचितता से दूषित है। तर्कहीनता के सवाल की जांच करते समय, अदालत [2021] 11 एस. सी. आर. के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वेड्सबरी। वेड्सबरी सिद्धांत को लागू करते समय, अदालत

इस बात की जांच करें कि क्या किसी प्राधिकरण का निर्णय ऐसा है कि कोई भी प्राधिकरण संबंधित कानून पर ठीक से निर्देश देने और उचित रूप से कार्य करने के लिए उस तक नहीं पहुंच सकता था।

32. उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि 6 अप्रैल 2018 के पी. एस. पी. सी. एल. के निर्णय पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

अवैधता या प्रक्रियात्मक अनुचितता का आधार। यह निर्णय उक्त अधिनियम की धारा 11 के अनुसार और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने के बाद लिया जाता है। हमले के लिए जो सीमित क्षेत्र उपलब्ध होगा वह यह है कि क्या निर्णय वेड्सबरी सिद्धांत से प्रभावित है।

क्या यह कहा जा सकता है कि प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय ऐसा है कि किसी भी उचित व्यक्ति ने इसे नहीं लिया होगा? इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राधिकरण ने खंड 12.4 पर भी भरोसा किया है। 1 तथापि, आबंटन समझौते के अनुसार,

ई. एम. टी. ए. के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने का यह एकमात्र आधार नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ई. एम. टी. ए. के प्रतिनिधित्व पर विचार करते समय, पी. एस. पी. सी. एल. ने खंड 12.4 का उल्लेख किया है। 1 आवंटन समझौते के लिए जिसकी आवश्यकता है कोयला खदानों को ठेकेदारों के माध्यम से विकसित किया जाना है, जिन्हें एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया था, हालांकि, यह एकमात्र आधार नहीं है जिस पर ई. एम. टी. ए. के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया जाता है। 6 अप्रैल 2018 को पी. एस. पी. सी. एल. द्वारा पारित आदेश में निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा:

" इसके अलावा, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का कोई कारण नहीं है

सर्वोत्तम प्रचालक का पता लगाने के उद्देश्यों के लिए वरीयता नहीं दी जाएगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि पूंजी के संबंध में संरचना के रूप में /

राजस्व निवेश पूरी तरह से अलग है, इसलिए बोली के मापदंड पूरी तरह से बदल गए हैं।

33. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि पी. एस. पी. सी. एल. ने सर्वोत्तम प्रचालक को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में जाने का निर्णय लिया है। इसने आगे देखा है कि पूंजी/राजस्व निवेश के संबंध में संरचना पूरी तरह से अलग है। इसलिए बोली के मानदंड पूरी तरह से बदल गए हैं। इसने आगे इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

आवंटन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। हम अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि क्या कहा गया है

तर्क को तर्कहीन या मनमाना कहा जा सकता है। सर्वोत्तम मूल्य पर सर्वोत्तम प्रचालक प्राप्त करने के नीतिगत निर्णय को निर्णय नहीं कहा जा सकता है। जिसे कोई भी समझदार व्यक्ति अपने मामलों में नहीं लेगा। मामले के उस दृष्टिकोण से, 6 अप्रैल 2018 के आदेश/पत्र पर हमला, बिना किसी योग्यता के है।

पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वी. ई. एम. टी. ए. कोल लिमिटेड [बी. आर. जी. ए. वी. ए. आई., जे.]

34. जहाँ तक श्री रोहतगी के विवाद का संबंध है

ई. एम. टी. ए. द्वारा किए जा रहे भारी निवेश का संबंध है, उक्त अधिनियम अन्य उपचारों के अलावा मुआवजे की मांग के लिए उपाय प्रदान करता है: जो कानून में उपलब्ध हैं। मामले के उस दृष्टिकोण में, हम उस ओर से दिए गए तर्कों से प्रभावित नहीं हैं।

35. इसके परिणामस्वरूप, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश कानूनी रूप से अस्थिर है। अपीलें इसलिए अनुमति दी जाती है और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 25 जनवरी 2019 को पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है। लंबित आई. ए. (ओं), यदि कोई हो, तो उसी के अनुसार निपटाया जाएगा।

अपीलों

की अनुमति दी गई

दिव्या पांडे